न्यायालय उपजिलाधिकारी बीकापुर फैजाबाद

वाद संख्या: 07
अन्तर्गत धारा–143 ज0 वि0 अधि0
ग्राम– ऊँचगॉव, रामपुर भगन, बीकापुर, फैजाबाद
इच्छा राम सिंह बनाम सरकार।

निर्णय

श्री इच्छा राम सिंह, पुत्र श्री धनुष धारी सिंह, नियासी कोटसराय, फैजाबाद ने प्रार्थनापत्र देकर निवदेन किया है कि ग्राम ऊँचगॉव, रामपुर भगन, बीकापुर, फैजाबाद जिले की गाटा सं0 822 में अनीता कालेज ऑफ फार्मेसी, ऊँचगॉव, रामपुर भगन, बीकापुर, फैजाबाद द्वारा संचालित उर्मिला ग्रमीण शिक्षण संस्थान, साहबगंज, फैजाबाद प्रबंधक श्री सूर्य प्रताप सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, निवासी साहबगंज के नाम से विद्यालय चल रहा है। वाद भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। वाद भूमि को गैर कृषि प्रयोजन आबादी घोषित किया जाये।

पत्रावली स्थलीय जॉच हेतु तहसीलदार बीकापुर को प्रेषित की गयी है। तहसीलदार बीकापुर ने स्थलीय जॉच करके नियम 135 के प्रारुप पर अपनी आख्या प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम ऊँचगॉव, रामपुर भगन, की गाटा सं0 822/1.157 हे0 में क्षेत्रफल 1.157 हे0 अनीता कालेज ऑफ फार्मेसी, ऊँचगॉव, रामपुर भगन, बीकापुर, फैजाबाद द्वारा संचालित उर्मिला ग्रमीण शिक्षण संस्थान, साहबगंज, फैजाबाद प्रबन्धक श्री सूर्य प्रताप सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार सिह, निवासी साहबगंज के नाम से संक्रमणिय भूमि अंकित है। उक्त गाटा में विद्यालय का निर्माण हो रहा है। गाटा उपरोक्त में क्षेत्रफल 1.157 हे0 अकृषिक के रुप में प्रयोग हो रहा है। आबादी प्रख्यादित करने की संस्तुति की गई है।

पत्रावली प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी की गई। खातेदार राणा प्रताप सिंह व चन्दावती जरिये अधिवक्ता न्यायलय पर उपस्थित आये तथा आपत्ति दाखिल करने हेतु अवसर की मांग दिनांक 20.03.2016को की गई किन्तु 10 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुयी। आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय पर उपस्थित होकर यह तर्क दिया गया कि आपत्तिकर्ता के अंश को छोडकर वादी के अंश को अकृषित घोषित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नही है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का विधिवत परिशिलन किया। गाटा सं0 822/1.157 हे0 में क्षेत्रफल 1.157 हे0 जरिये बैनामा उर्मिला ग्रमीण शिक्षण संस्थान, साहबगंज, फैजाबाद द्वारा प्रबन्धक श्री इच्छा राम सिंह पुत्र श्री धनुष धारी सिंह निवासी कोटसराय फैजाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अंकित खातेदार प्रबन्धक श्री इच्छा रान सिंह द्वारा अपने नाम अंकित भूमि का आकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है। ज0 वि0 अधि0 की धारा 143 में यह व्यवस्था है के कोई भी अंकित खातेदार अपने खाते की भूमि का यदि प्रयोग गैर कृषि प्रयोजन में करता है तो वह इस पत्र के प्रख्यापन के लिये प्रार्थनापत्र दे सकता है। श्री इच्छा राम सिंह अंकित खातेदार है। तँहसीलदार की जॉच आख्या से भी यह स्पष्ट है कि वाद भूमि का प्रयोग गैर कृषि प्रयोजन में हो रहा है। अतएव गैर कृषि प्रयोजन आबादी प्रख्यापित करने में कोई विधिक बाधा नही है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अत: आदेश हुआ कि ग्राम ऊँचगॉव, रामपुर भगन, बीकापुर, फैजाबाद की खंतौनी 355 फ0 से 1411–1416 फ0 के खाता सं0 374 की गाटा सं0 822/1.157 हे0 में क्षेत्रफल 1.157 हे0 गैर कृषि प्रयोजन आबादी प्रख्यापित कियां जाता है। नियम 136 के अन्तर्गत परवाना अमल दरामद जारी हा तथा उसकी एक प्रति उपनिबन्धक बीकापुर को अभिलेखों में लिपिबद्ध कर निबन्धन हेतु प्रेषित किया जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

दिनांक:– 30.03.2016

उपजिलाधिकारी
बीकापुर फैजाबाद।

निर्णयादेश खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।
दिनांक:–30.03.2016

उपजिलाधिकारी
बीकापुर फैजाबाद।

प्रबन्धक
उर्मिला ग्रामीण शिक्षण संस्थान

प्रधानाचार्य
उर्मिल इच्छा कालेज ऑफ फा...
धौरहरा कुटी नन्सा बाजार अ...